III meeting
Agenda & minutes

30

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय

ए–12 सरस्वती विहार, देहरादून।

एजेण्डा + निर्णय III rd

'वित्त समिति' की तृतीय बैठक

दिनांक: 19 नवम्बर, 2008

समय: पूर्वाह्न 11.00 बजे

स्थान: कार्यालय कक्ष सचिव, तकनीकी शिक्षा,

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून

'वित्त समिति' की तृतीय बैठक दिनांक 19–11–08 हेतु एजेण्डा बिन्दु

1. दिनांक 23–06–08 को आयोजित की गई वित्त समिति की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।
2. दिनांक 23–06–08 को आयोजित वित्त समिति की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही।
3. वर्तमान कुलपति आवास को नये कुलपति हेतु आवास के रूप में लिये जाने के संबंध में।
4. कुलपति महोदय के पेंशन अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान के भुगतान के संबंध में।
5. ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में।
6. विश्वविद्यालय हेतु भूमि क्रय आवंटन किये जाने के संबंध में वस्तुस्थिति।
7. सम्बद्धता तथा सुरक्षा शुल्क के संबंध में।
8. परीक्षा से संबन्धित गोपनीय खाता खोले जाने विषयक तथा गोपनीय भुगतान की अधिकतम सीमा निर्धारित किये जाने के संबंध में।
9. अन्य कोई बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

एजेण्डा बिन्दु – 1

- दिनांक 23–06–08 को आयोजित की गई वित्त समिति की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

एजेण्डा बिन्दु – 2

- दिनांक 23–06–08 को आयोजित वित्त समिति की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही।

बिन्दु–1:

(कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।)

बिन्दु–2:

(कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।)

बिन्दु–3:

- वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्यय विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 के उपलब्ध लेखा अभिलेखों के आधार पर चार्टड एकाउण्टेन्ट फर्म द्वारा तैयार किये गये तुलन–पत्र, आय–व्यय विवरण, प्राप्तियॉ तथा भुगतान विवरण पर चर्चा तथा आवश्यक अनुमोदन।

पूर्व के वर्षों का वास्तविक् लेखा, तुलन पत्र तैयार किये जाने की कार्यवाही गतिमान है तथा वित्त समिति की आगामी बैठक में उसे प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

बिन्दु–4

- वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिये अनुमानित आय तथा अनुमानित व्यय प्रस्ताव (बजट) पर चर्चा तथा अनुमोदन।

जारी निर्देशों के क्रम में बजट आगणन तैयार करते समय एक वर्ष पूर्व के वास्तविक पुनरीक्षित तथा अगले वर्ष के लिये आवश्यक अनुमान निर्धारित प्रारूप में तैयार कराया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

27

बिन्दु–5

- विश्वविद्यालय कार्यालय भवन के किराये पर अनुमोदन।

स्वीकृत दरों के आधार पर कार्यालय भवन के किराये का भुगतान किया जा रहा है।

बिन्दु–6

- विश्वविद्यालय में परीक्षा हेतु उत्तर–पुस्तिकाओं, ओ0आर0एस0 शीट्स के प्रकाशन तथा स्केनिंग का कार्य मैसर्स एस0पी0एस0 इन्टरनेशनल लि0, नई दिल्ली के माध्यम से करवाये जाने के निर्णय पर चर्चा तथा कार्येत्तर अनुमोदन।

कार्येत्तर स्वीकृति के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जा चुकी है।

बिन्दु–7

- विश्वविद्यालय हेतु भूमि क्रय/आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

संबन्धित बिन्दु पर अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

बिन्दु–8.1

समिति द्वारा दी गई स्वीकृति के क्रम में कुलपति महोदय के निर्देशानुसार भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

बिन्दु–8.2

प्रकरण अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

एजेण्डा बिन्दु–3

- वर्तमान कुलपति आवास को नये कुलपति हेतु आवास के रूप में लिये जाने के संबंध में।

कुलपति महोदय को वर्तमान में उपलब्ध कराये गये आवास के सापेक्ष रू0 10,000/– प्रतिमाह विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जा रहा है। उक्त आवास पर विश्वविद्यालय के द्वारा तद्समय कतिपय आवश्यक वस्तुयें साज–सज्जा के रूप में उपलब्ध करायी गयी थीं जो उक्त आवास पर उपलब्ध हैं। चूंकि वर्तमान कुलपति महोदय का कार्यकाल 2, दिसम्बर को समाप्त हो रहा है तथा नये कुलपति के चयन की प्रक्रिया गतिमान है। अतः उपरोक्त के सन्दर्भ में यह प्रस्तावित किया जा रहा है कि कुलपति महोदय के वर्तमान आवास को ही लीज के रूप में अगले कुलपति महोदय के आवास हेतु अनुबन्ध कर लिया जाय। अनुबंध की शर्तें वर्तमान कुलपति महोदय के साथ की गयी शर्तों के अनुरूप ही रखा जाना प्रस्तावित है।

एजेण्डा बिन्दु–4

- कुलपति महोदय के पेंशन अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान के भुगतान के संबंध में।

कुलपति महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनका विश्वविद्यालय से संबन्धित पेंशन अंशदान एवं अवकाश वेतन अंशदान उनके पैत्रिक विभाग को विश्वविद्यालय द्वारा नहीं भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि कुलपति महोदय की सेवा शर्तें अभी तक शासन स्तर से निर्गत नहीं हुई हैं जिस कारण पेंशन अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान का भुगतान किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। प्रकरण समिति के सम्मुख अग्रेत्तर निर्देश हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

एजेण्डा बिन्दु–5

- ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में।

शासन के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का वर्ष 2005–06 एवं सितम्बर, 2007 तक का विशेष ऑडिट करवाया गया था। ऑडिट दल द्वारा इस संबंध में कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। ऑडिट से संबन्धित आख्या संभवत् शासन में प्रस्तुत की जा चुकी है। शासन से निर्देश प्राप्त होने पर तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण वित्त समिति के सूचनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

एजेण्डा बिन्दु–6

- विश्वविद्यालय हेतु भूमि क्रय आवंटन किये जाने के संबंध में वस्तुस्थिति।

विश्वविद्यालय की द्वितीय 'वित्त समिति' की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि उक्त वर्णित कार्य हेतु एक समिति का गठन कर इस पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त के परिपेक्ष में विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी जिसमें अपर जिलाधिकारी, मुख्य नगर नियोजक एवं कुलसचिव सदस्य हैं, के द्वारा तीन जगह पर भूमि चिह्नित की गयी तथा लालतप्पड़ के पास एक भूमि जोकि पूर्व में बी0आर0ओ0 को आवंटित की जा चुकी थी तथा उनके द्वारा उस पर कोई भी अग्रेत्तर कार्यवाही नहीं की गयी है। इस भूमि को विश्वविद्यालय को आवंटित करने हेतु जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया गया जिस पर कार्यवाही करते हुए उन्होंने यह भूमि विश्वविद्यालय को आवंटित किये जाने हेतु शासन को अपनी संस्तुति लिख कर भेजी दी। इस संबंध में शासन से निर्णय आना शेष है।

उक्त संबंध में अग्रेत्तर निर्देश प्रदान करना चाहें।